न्यायालय आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 प्रदीप के. गावंडे
अपील संख्या : 02/2020

1. श्री दिग्विजयसिंह पुत्र राजेश्वरसिंह परिहार जाति राजपूत निवासी मकान नम्बर 7, प्रथम पोलो गाउण्ड जोधपुर हाल 605, भास्कर जांगीड स्टेट नेक्स्ट टू विजय पार्क मीरा रोड (इस्ट) जिला थाने, महाराष्ट्र
2. श्री भुवनेशसिंह दत्तक पुत्र भारत भूषणसिंह, निवासी मकान नम्बर 7, प्रथम पोलो गाउण्ड जोधपुर

– अपीलान्टगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकारराज

– रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति :

1. श्री तेजकरण गहलोत – वकील अपीलान्टगण
2. पैरोकारराज

## *निर्णय*

दिनांक :– 12–06–2024

यह अपील अपीलान्ट श्री दिग्विजयसिंह पुत्र राजेश्वरसिंह परिहार जाति राजपूत निवासी मकान नम्बर 7, प्रथम पोलो गाउण्ड जोधपुर हाल 605, भास्कर जांगीड स्टेट नेक्स्ट टू विजय पार्क मीरा रोड (इस्ट) जिला थाने, महाराष्ट्र के द्वारा आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–01–2001 के विरूद्ध राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के तहत 23(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय दिनांक 24–7–2020 से भुवनेशसिंह दत्तक पुत्र भारत भूषणसिंह को रिकार्ड पर लिया गया।

अपीलान्टगण ने अपने अपीलमीमों में अंकित किया है कि अधीनस्थ अदालत के समक्ष आवंटी भारतभूषणसिंह की देहान्त की जानकारी हो चुकी थी उसके उपरान्त भी मृतक भारतभूषणसिंह के वैधानिक वारिसान की जानकारी व जलांच करवाए बिना ही मौका क़ब्जा काश्त आवंटित कृषि भूमि की बाबत उपनिवेशन तहसीलदार, मोहनगढ से एक पक्षीय बाला बाल रूप से मंगवाकर आवंटित कृषि भूमि को गैर कानूनी तरीके से खारिज करने में अपने क्षेत्राधिकार का अनुचित उपयोग किया है इस कारण आदेश जैर अपील निरस्त योग्य है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व ही आवंटी भारत भूषणसिंह परिहार (भूतपूर्व सैनिक) का देहान्त हो चुका था। यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर होते हुए भी इन तथ्यों एवं विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्तों को नजर अन्दाज करते हुए आदेश जैर अपील मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया है जो प्रथम दृष्टया ही शून्य आदेश है जो काबिल निरस्तनीय है।आवंटी भारत भूषणसिंह परिहार ला ऑलोद फौत हो गया था परन्तु कानूनन उसके विधिक वारिसान अपीलान्ट जो मृतक का सगा भाई है तथा अपीलान्ट के अलावा आवंटी के दो भाई विजय भूषणसिंह एवं कुल भूषणसिंह जिनका देहान्त हो चुका है। अधीनस्थ अदालत ने मृतक आवंटी के विधिक वारिसान की बाबत किसी प्रकार की जांच आदि किए बिना ही मनमाने तरीके से आदेश जैर अपील विधिक वारिसान के मौजूमद रहते मृतक व्यक्ति के खिलाफ पारित किया गया है जिसकी कानून की निगाह में कोई विधिक मान्यता नहीं है। जो काबिल निरस्तनीय है। आवंटी भारतभूषणसिंह पुत्र राजेश्वरसिंह (आर0एस0) परिहार जो अपीलान्ट का सगा भाई है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अराजी जैर अपील अपीलान्ट को जरिये विरासतन प्राप्त हुई है। अराजी जैर अपील उपनिवेशन तहसील, मोहनगढ–2 के चक 75

एसएलडी के मु0नं0 59/02 में 23–10 बीघा कमांड भूमि दिनांक 04–02–1986 को आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटित की गयी थी जिसका कब्जा आवंटी स्वयं को दिनांक 03–4–1987 को नियमानुसार दिया जा चुका था। उक्त कृषि भूमि पर आवंटी विधिक रूप से काबिज काश्त हो गया था। आवंटी के देहान्त पश्चात अपीलान्ट उक्त आवंटित भूमि पर बतौर विधिक वारिसान आवंटी काबिज काश्त हो गया तथा अपीलान्ट का आज भी कब्जाकाश्त है। उक्त आवंटित कृषि भूमि की किश्तों की राशि 8295/– रूपये दिनांक 7–7–2000 को राजस्व कोष में अपीलान्ट द्वारा जमा करवाई जा चुकी थी। उसके उपरान्त भी इन सब तथ्यों की जांच किये बिना ही गैर कानूनी तरीके से अराजी जैर अपील को खारिज करने में घोर अनियमितता की गयी है। इस कारण भी आदेश जैर अपील निरस्त योग्य है। अधीनस्थ अदालत के समक्ष उपनिवेशन तहसीलदार, मोहनगढ–3 मुकाम सुल्तान के द्वारा दिनांक 13–10–2000 को प्रस्तुत रिपोर्ट में यह स्पष्ट आया है कि आवंटित भूमि पर ग्वार की फसल काश्त है। इस काश्त बाबत गंभीरता से जांच नहीं कर सरसरी तौर पर उपनिवेशन तहसीलदार, मोहनगढ द्वारा यह लिखना कि शरहदी काश्तकार (जिसका नाम नहीं) को पूछे जाने पर बताया कि भारतभूषण का भाई कृष्णलाल पुत्र रतीराम यादव साकिन हाल 77 एसएलडी को काश्त करने हेतु देकर गया था। इस प्रकार से अपूर्ण एवं अस्पष्ट रिपोर्ट जो तहसीलदार द्वारा एकपक्षीय की गयी थी, को आधार बनाकर अपीलान्ट को नोटिस दिये बिना ही दीगर व्यक्ति के नाम गलत तरीके से काश्त आधार बनाकर आवंटन नियमों की अवहेलना करके आदेश जैर अपील प्रस्तुत करने में अदालत मातहत ने गलती की है। अपील पारित करने से पूर्व अदालत मातहत द्वारा किसी प्रकार से न्यायिक विवेक का उपयोग नहीं किया गया है। आदेश जैर अपील प्रिज्युडिस होकर पारित किया गया है। इस कारण निरस्त योग्य है।अपीलान्ट 5–6 वर्ष से गंभीर बीमारी से पीडित है जिसके इलाज हेतु जिला थाने, महाराष्ट्र में निवास कर रहा है। आवंटित भूमि को खारिज करने से पूर्व न तो किसी प्रकार की नियमानुसार जांच की गयी ना ही अपलीलान्ट को किसी प्रकार का नोटिस एवं सुनवाई साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया गया। सारी कार्रवाई बाला–बाला रूप प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध जाकर मृतक व्यक्ति के खिलाफ की जाने के कारण अपीलान्ट को इसकी जानकारी नहीं हो सकी है। अपीलान्ट ने उक्त अराजी जैर अपील की आवंटन की किश्तें जमा कराने हेतु तहसील कार्यालय में पता करवाया गया तो तहसील कार्यालय द्वारा यह बताया गया कि उक्त आवंटित कृषि भूमि काफी समय पूर्व खारिज हो चुकी है। इसलिए किश्तें जमा नहीं हो सकती। अपीलान्ट ने तहसील कार्यालय पर आवंटन खारिज की जानकारी करवायी तो उक्त आवंटन पत्रावली बीकानेर हैड ऑफिस में मिलने का तहसील कार्यालय द्वारा बताया गया। दिनांक 23–1–2015 को आवंटन पत्रावली मिलने पर उसी दिन आदेश जैर की अपील की जानकारी हुई इससे पूर्व आदेश जैर अपील की जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी। जानकारी होने पर नकल प्रार्थना पत्र पेश करने पर उसी दिन प्राप्त हुई। तारीख जानकारी से अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद है। उपरान्त मृतक व्यक्ति के खिलाफ अपील आदेश निरस्त फरमावे।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलान्टगण की ओर से अभिभाषक व राज्यपक्ष की ओर से पैरोकारराज उपस्थित हुए तथा अपील पर बहस की गई। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

बहस के दौरान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपीलमीमो में अंकित तथ्यों को दोहराया व माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर की एकल सिविल रिट याचिका संख्या 2521/2020 व कनेक्टिंग रिट याचिका संख्या 15283/2015 में पारित निर्णय दिनांक 24–7–2020 के अनुसार अपील निस्तारण करने में माननीय अपेक्स कोर्ट में स्पेशल लीव अपील संख्या 24441/2017 राजस्थान राज्य विरूद्ध सज्जन कंवर व ऑनरेबल डिविजन बैंच में रिट संख्या 11008/2013 में हुए निर्णयों के आलोक में प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

इसी संबंध में पैरोकारराज की बहस सुनी गई। पैरोकारराज का कथन है कि भूतपूर्व सैनिक श्री भारत भूषणसिंह दिनांक 22–2–1995 को लॉ–औलाद फौत हो चुके हैं। इनके देहान्त होने के बाद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा काश्त होने के कारण आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 9–1–2001 को आवंटित भूमि चक 75 एसएलडी सीएडी अनुसार 73–75 एसएलडी के मु0नं0 59/02 में 23–10 बीघा भूमि निरस्त की गयी थी। आवंटी के कोई वारिस नहीं था। अतः अपील निरस्त फरमावे।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। उभयपक्षों की बहस सुनी एवं मनन किया जिसके आधार पर विवेचन के तौर यह निष्कर्ष निकलता है कि भूतपूर्व सैनिक श्री भारत भूषणसिंह दिनांक 22–2–1995 को लॉ–औलाद फौत हो चुके हैं। इनके देहान्त होने के बाद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा काश्त होने के कारण आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 9–1–2001 को आवंटित भूमि चक 75 एसएलडी सीएडी अनुसार 73–75 एसएलडी के मु0नं0 59/02 में 23–10 बीघा भूमि निरस्त की गयी थी। आवंटी के कोई वारिस नहीं था। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर की एकल सिविल रिट याचिका संख्या 2521/2020 व कनेक्टिंग रिट याचिका संख्या 15283/2015 में पारित निर्णय दिनांक 24–7–2020 के अनुसार अपील निस्तारण करने में माननीय अपेक्स कोर्ट में स्पेशल लीव अपील संख्या 24441/2017 राजस्थान राज्य विरूद्ध सज्जन कंवर व ऑनरेबल डिविजन बैंच में रिट संख्या 11008/2013 में हुए निर्णयों के आलोक में प्रकरण का निस्तारण किया जाना है।

अतः अपील स्वीकार की जाकर आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के निर्णय दिनांक 09.01.2001 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर की एकल सिविल रिट याचिका संख्या 2521/2020 व कनेक्टिंग रिट याचिका संख्या 15283/2015 में पारित निर्णय दिनांक 24–7–2020 के अनुसार अपील निस्तारण करने में माननीय अपेक्स कोर्ट में स्पेशल लीव अपील संख्या 24441/2017 राजस्थान राज्य विरूद्ध सज्जन कंवर व ऑनरेबल डिविजन बैंच में रिट संख्या 11008/2013 में पारित निर्णय व राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 10.12.2019 के प्रावधानानुसार अपीलार्थीगणों को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करे।

आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली वापिस हो।

निर्णय आज दिनांक 12–06–2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 प्रदीप के. गावंडे)
आयुक्त उपनिवेशन
बीकानेर